मनोरंजन कर विभाग द्वारा उद्यमियों/छविगृह स्वामियों को प्रदत्त सुविधायें

मनोरंजन कर विभाग का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के सुलभ साधनों को अधिकाधिक जनोपयोगी बनाते हुये ऐसे साधनों से आमोद एवं पणकर की वसूली सुनिश्चित करना तथा व्यापक निरीक्षणों के माध्यम से करापवंचन की रोकथाम के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि जनता को नियमानुसार आवश्यक सुविधायें एवं व्यवस्थायें सुलभ हो रही हैं। विभाग द्वारा उद्यमियों/छविगृह स्वामियों को प्रदत्त सुविधाओं का विवरण निम्नवत है –

1. छविगृह परिसर का अनुरक्षण –

सिनेमा परिसर के रख–रखाव हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–1315/11–6–2013– एम(92)/2009 दिनांक 28 नवम्बर,2013 के द्वारा किसी सिनेमा का मालिक तत्काल प्रभाव से सिनेमा परिसर के अनुरक्षण और वातानुकूलन/वायुषीतन सुविधाओं हेतु प्रति टिकट मूल्य में से आमोद कर को छोड़कर क्रमशः रू. 6.00 और रू. 3.00 का उपयोग करेगा। शासन की अधिसूचना संख्या–230/11–क.नि.–6–2017–एम(92)/2009(टी.सी) दिनांक 27.03.2017 द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 28.11.2013 में आंशिक संशोधन करते हुये इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से ' किसी सिनेमा का मालिक सिनेमा परिसर के अनुरक्षण हेतु प्रति टिकट के मूल्य में से आमोद कर को छोड़कर 8.00 रूपये का उपयोग कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य किया गया है। इस व्यवस्था से आमोद के स्वामी सिनेमा परिसर का रख–रखाव करते है जिससे सिनेमा में प्रवेश पाने वाले दर्शकों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध होती हैं।

2. छविगृहों का उच्चीकरण–

सिनेमाहालों में फिल्मों को देखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान छविगृहों में उपलब्ध सुविधाओं तथा तकनीकों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण किया जाये। प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या– 952 दिनांक 03.11. 1999 के अंतर्गत छविगृह में जनसुविधा के विस्तार एवं उन्हें जनोन्मुखी बनाने के उददेश्य से छविगृहों में आधुनिक घ्वनि प्रणाली, एअर कडीशनिंग, जेनरेटर सेट, फाल्स सिलिंग लगाने एवं समस्त फर्नीचर बदलने तथा वृहद नवीनीकरण हेतु मनोरंजन–कर उपादान की नवीन योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत छविगृह–स्वामी को उपरोक्त सुविधाओं पर

किए गए निवेश के 50ः की अधिकतम् सीमा तक मनोरंजन–कर, जो इस सुविधा के बाद अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा, अनुदान के रूप में अपने पास रखने की अनुमति पूर्व वर्ष में जमा किये गये मनोरंजन–कर राजस्व के बराबर, राजस्व शासकीय कोषागार में जमा करने के पश्चात् दी जायेगी। पुनः शासनादेश संख्या –621 (1) दिनांक 12.09.2014 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 03.11.1999 में छविगृह में डिजिटल प्रोजक्शन सिस्टम एवं सौर उर्जा से संचालित संयत्र स्थापित करने पर इस योजना के अंतर्गत निवेश की गयी धनराशि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था कतिपय शर्तों के साथ की गयी है।

3. प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015–

प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने हेतु शासनादेश संख्या–1972/11–6–10 एम(72)/2010 दिनांक 03.01.2011 द्वारा जारी प्रोत्साहन दिनांक 31.03.2015 को समाप्त हो गयी। राजस्व में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा जनता को उच्च कोटि का मनोरंजन प्रदान करने के दृष्टिगत, नये मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या संख्या–714/11–6–15 एम(72)/2010 दिनांक 03.09.2015 द्वारा उक्त प्रोत्साहन योजना दिनांक 03.01.2011 को दिनांक 31.03.2020 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम वर्ष में 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 75 प्रतिशत एवं चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 100 प्रतिशत और चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। यह योजना 31 मार्च,2020 तक प्रभावी है। शासनादेश संख्या–1055/11–6–14–एम.(19)/2008 दिनांक 19.12.2014 के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी की गयी है कि तत्संबंधी पूर्व शासनादेश संख्या–1211/11–क.नि.–6–2005–बीस.–आर.(12)/98 दिनांक 27.09.2005 की योजना के अन्तर्गत ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृह जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर सिनेमा का निर्माण करके निर्धारित अवधि 31.03.2011 के बाद लाईसेंस प्राप्त किया गया हो और उन्हें उक्त शासनादेश में अनुमन्य अनुदान का लाभ प्राप्त न हो पाया हो ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृहों को भविष्य में विभागीय राजस्व तथा रोजगार सृजन में वृद्धि होने के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 27.09.2005 के

सभी प्रतिबन्धों का पालन करने पर शासनादेश दिनांक 03.01.2011 में मल्टीप्लेक्स छविगृहों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था में संशोधन करते हुए निम्न अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु प्रस्तावित अनुदानः–

प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष में	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन का 50 प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता

ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृहों में जिन्होंने शासनादेश दिनांक 27.09.2005 की योजना से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली–1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लाईसेंस दिनांक 31.03.2011 तक प्राप्त न कर सके हों और जो दिनांक 31.03.2016 तक प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं को उपरोक्तानुसार अनुदान का लाभ इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि सिनेमा स्वामी द्वारा शासनादेश दिनांक 27.09.2005 के सभी प्रतिबन्धों का पालन किया गया हो तथा नियमानुसार शासनादेश के अधीन निर्माण की पूर्वानुमति जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर ली गयी हो।

(4) नये एकल निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना–

शासनादेश संख्या–950/11.–6–2016– एम(9)/16 दिनांक 30.12.2016 द्वारा छविगृह में अनुदान स्वीकृति के दिनांक से प्रथम वर्ष में 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 75 प्रतिशत एवं चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(5)पुराने बन्द पड़े एवं घाटे में चल रहे छविगृहों हेतु योजनाः–

सिने व्यवसाय को आर्थिक रूप से उपादेय बनाने के उद्देश्य से बन्द/घाटे में चल रहे सिनेमाओं को पुर्नसंरचित करके 125 अथवा अधिक आसन क्षमता के छोटे सिनेमा सहित व्यवसायिक गतिविधियां प्रारम्भ करने सबंधी शासनादेश संख्या–231/11–6–11–20 एम0 (19)/2008 दिनांक 20.05.2011 जारी किया गया है।

शासनादेश संख्या–843/11.–6–2016–20 एम(19)/08 दिनांक 30.12.2016 द्वारा घाटे में चल रहे सिनेमाओं को रिमाडल कर व्यवसायिक गतिविधियों से युक्त एकल/मल्टीप्लेक्स छविगृह बनाने पर 03 वर्ष की अवधि तक ऐसे एकल सिनेमा/मल्टीप्लेक्स में प्रथम फिल्म प्रदर्शन से कुल एकत्रित मनोरंजन कर का 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(6) बन्द सिनेमाओं को पुनः संचालित कराने हेतु योजना–

प्रदेश में बन्द हुए छविगृहो को पुनः चालू किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–927/11–6–2016–तीस ई0बी0–9(4)/92 दिनांक 30.12.2016 द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक बन्द पडे छविगृहो को बिना किसी निवेश के पुनः खोलने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सिनेमा में संग्रहीत मनोरंजन कर का 30 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

7. फिल्म विकास निधि की स्थापना–

प्रदेश की फिल्म नीति–1999 की घोषणा के साथ यह निर्णय लिया गया कि फिल्मों तथा फिल्म सम्बंधी अवस्थापना के विकास की विभिन्न योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिये सिनेमा–टिकटों पर 50 पैसे का शुल्क चार्ज किया जायेगा। इस प्रकार एकत्र की गयी धनराशि से एक पृथक फिल्म निधि का गठन किया जायेगा। इस निर्णय के पश्चात उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 में नई धारा 3–ख जोड़कर सिनेमा के प्रत्येक टिकट पर रू0 0.50 प्रति दर्शक वसूलने का प्राविधान किया गया तथा धारा 3–ग जोड़कर फिल्म विकास निधि की स्थापना तथा उसका उद्देश्य के प्रावधान जोड़े गये। शासन की अधिसूचना 2056/17–सत्रह–वि–1–2(क)–23–1999 दिनांक 5.11.99 से फिल्म विकास निधि का गठन किया गया था। इस विकास निधि के प्रबन्धन हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्रबन्ध समिति गठित की गयी जिसमें प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन,सचिव पर्यटन,सचिव संस्कृति, मनोरंजन कर आयुक्त, अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु तथा निदेशक सूचना एवं जन–संपर्क विभाग सदस्य तथा प्रबन्ध निदेशक, पिकप सचिव/निधि प्रबन्धक नामित किये गये। यह निधि पिकप में स्थापित की गयी ।

उत्तर प्रदेश फिल्म नीति(संशोधित 2001) में फिल्म निधि के प्रबन्धन के सम्बंध में उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गयी कि उपरोक्तानुसार एकत्रित फिल्म

निधि की धनराशि प्रत्येक वर्ष सूचना विभाग के आय–व्ययक में अलग लेखा शीर्षक खोलकर प्रावधानित करायी जायेगी तथा उसे अनुदान के रूप में फिल्म बन्धु द्वारा स्वीकार किया जायेगा । फिल्म विकास निधि का संचालन उत्तर प्रदेश फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा। इस निधि में अनुदान के अतिरिक्त फिल्म उपकरणों के किराये तथा फिल्म महोत्सव के आयोजन में टिकटों से होने वाली आय को भी जमा किये जाने तथा निधि से प्राप्त धनराशि का उपयोग फिल्म एवं क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण हेतु अवस्थापना के विकास आदि कार्यो के अतिरिक्त फिल्म बन्धु की स्थापना तथा उसके रख–रखाव सम्बंधी व्यय पर भी किये जाने का प्राविधान किया गया। फिल्म विकास निधि का प्रबन्धन सूचना विभाग में उत्तर प्रदेश फिल्म बन्धु के अधीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जा रहा है। इस समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव सूचना, उपाध्यक्ष सचिव, सूचना , सचिव वित्त, सचिव, कर एवं निबंधन, सचिव उद्योग, सचिव संस्कृति, महानिदेशक पर्यटन, प्रबन्ध निदेशक पिकप, मनोरंजन कर आयुक्त, निदेशक सूचना सदस्य तथा अपर निदेशक सूचना सदस्य कार्यान्वयन बनाये गये। वर्तमान में यही समिति उद्योग बन्धु के माध्यम से फिल्म विकास निधि का प्रबन्धन कर रही है।

8.<u>फिल्मों की मनोरंजन कर से मुक्ति</u>–

उत्तर प्रदेष में फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान करने की नीति के अंतर्गत द चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित अथवा अधिगृहीत फिल्म, भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, अन्तर्राष्ट्रीस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म, भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म,परिवार कल्याण पर आधारित फिल्म जिसका 75 प्रतिषत भाग परिवार नियोजन पर ही हो,राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजकीय उपक्रम अथवा एन.एफ.डी.सी. एवं अधिकृत सहकारिता संस्थान द्वारा निर्मित उद्देष्य पूर्ण फिल्में जो उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित न हो आदि को मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने का प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या–86/11–क.नि.–6–14–बीस. आर(दस)/96 दिनांक 17.01.2014 द्वारा प्रदेश में फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करने की नीति में संशोधन करते हुये प्रदेश में छायांकन के आधार पर कर मुक्त करने की व्यवस्था को पुनः लागू किया गया है। इसके साथ ही कर मुक्ति नीति में विहित एक समय में कर मुक्त 12 प्रिंट चलाये जाने की

शर्त को समाप्त करते हुये उसके स्थान पर किसी फिल्म को अधिकतम 200 प्रिंट/वीक की कर मुक्ति प्रदान की जायेगी जिसका उपयोग 03 माह की समय–सीमा के अधीन किया जाना होगा। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 'कृष्ण और कंस' ,'भाग मिल्खा भाग', 'टू लिटिल इंडियनस','डेढ़ ईश्किया', 'जय हो', एवं 'या रब' एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोकप्रिय फिल्म 'मैरी कॉम', 'मर्दानी','भूतनाथ रिटर्न,'कटियाबाज द पावर लेस', 'पी.के. ,'तेवर', 'चार सहाबजादे' एवं 'हवाईजादा' को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोकप्रिय फिल्म 'जय हो डेमोक्रेसी', 'हमारी अधूरी कहानी', बजरंगी भाईजान', मिस टनकपुर हाजिर हों', इश्क के परिन्दे, मसान, जॉनिसॉर, दृश्यम्,मॉझी–द माउण्टेनमैन,'वन्स अपॉन ए टाइम इन बिहार','चॉक एन डस्टर', 'बाजीराव मस्तानी', 'एअर लिफ्ट', 'साला खडूस' एवं 'नीरजा' को कर मुक्ति प्रदान की गयी । वित्तीय वर्ष 2016–17 में ''निल बटटे सन्नाटा'',''सरबजीत'', ''भूरी'',''वाह ताज'', ''एम.एस. धोनी द अनटोल्ड स्टोरी'', ''कहानी–2 एवं ''दंगल'' को कर मुक्त किया गया।

9. विलुप्त होते मनोरंजन के साधनों की कर मुक्ति –

उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 16.08.1981 से निम्न आमोद के वर्ग मनोरंजन कर की देयता से मुक्त किये गये हैं–

1. नाटक,
2. नौटंकी,
3. कव्वाली,
4. कवि सम्मेलन,
5. मुशायरा,
6. शास्त्रीय एवं लोक संगीत, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 6 के अधीन आच्छादित है, को छोड़कर,
7. वैरायटी प्रोग्राम, जिनमें अनन्य रूप से उपर्युक्त मद 1 से 7 तक के दो या उससे अधिक कार्यक्रम सम्मिलित हैं,

8. सभी स्तरों पर आयोजित खेल और क्रीड़ा, जिसमें ओलम्पिक, एशियाड या राष्ट्रीय खेलों में कोई नियमित या प्रदर्शन खेल सम्मिलित है या जो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा विनियमित हों ,

9. स्केटिंग, दंगल और कुश्ती प्रतियोगिता जिसमें फ्री स्टालइ कुश्ती भी सम्मिलित है,

10. सरकस, जिसमें कलाबाजी के करतब भी सम्मिलित हैं और

11. रू0 5.00 तक के वीडियो गेम।

12. जादू प्रदर्शन।